दीनू उपाध्याय के चार करीबियों पर कार्रवाई, 25-25 हजार का इनाम घोषित, चौकी इंचार्ज की मुखबिरी से भागे अधिवक्ता अनूप पर भी इनाम

फरार अधिवक्ता अरिदमन, श्रोत धर्मू समेत 16 पर इनाम घोषित

सख्ती

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। पिंटू सेंगर हत्याकांड के आरोपी दीनू उपाध्याय के करीबियों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एक तरफ पुलिस ने दीनू के भतीजे को गिरफ्तार किया तो दूसरी तरफ फरार चल बार एसोसिएशन के पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह, बार के पूर्व उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह धर्मू , श्रोत गुप्ता और चौकी इंचार्ज की मुखबिरी से भागे अधिवक्ता अनूप शुक्ला पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है।

कमिश्नरेट पुलिस अपराधियों की धरपकड़ कर वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए गुरुवार को पूर्वी जोन में चार अधिवक्ताओं समेत 16 लोगों पर इनाम घोषित किया है। पुलिस ने दीनू उपाध्याय के करीबी व हत्यारोपी श्याम नगर डी ब्लाक निवासी बार एसोसिएशन के पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह और श्याम नगर निवासी बार के पूर्व उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह यादव उर्फ धर्मू, बादशाहीनाका सब्जी मंडी के श्रोत गुप्ता और नवाबगंज अमरूद मंडी के अनूप शुक्ला पर 25 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। श्रोत को दीनू उपाध्याय का फाइनेंसर बताया जाता है। डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया, इसलिए अरिमदन सिंह, धर्मेंद्र सिंह धर्मू, श्रोत गुप्ता, अनूप शुक्ला समेत 16 पर इनाम घोषित किया गया है।

दीनू उपाध्याय

मनु उपाध्याय

नीरज, अमन की तलाश

कानपुर। विवादित जमीनों पर कब्जे और चर्चित पिंटू सेंगर हत्याकांड के आरोपित दीनू उपाध्याय के भतीजे मनु उपाध्याय को स्वाट टीम ने बुधवार रात प्रयागराज के धूमनगंज से गिरफ्तार किया। पुलिस को नीरज दुबे उर्फ सोनू पंडित, अमन शुक्ला और रचित पाठक की तलाश है। पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने बताया गिरोह के सदस्यों की तलाश हो रही है।

पुलिस ने आरोपितों पर कसा शिकंजा इन पर भी रखा गया इनाम

- महाराजपुर के लालूखेड़ा निवासी सूबेदार पर 25 हजार
- कोतवाली निवासी लकी सिंह उर्फ लकी ठाकुर पर 20 हजार रुपये
- फिरोजाबाद निवासी श्याम सिंह पर रेलबाजार से 20 हजार रुपये
- झारखंड निवासी करन महतो पर चकेरी से 20 हजार रुपये
- इटावा के फ्रेंड्स कालोनी निवासी मिट्ठू कंजड़ पर चकेरी से 20 हजार रुपये
- चकेरी के रामादेवी निवासी रामसिंह पर चकेरी से 15 हजार रुपये
- दिल्ली के मालवीय नगर निवासी रविन्द्रनाथ सोनी पर कोतवाली से 10 हजार रुपये
- कन्नौज निवासी प्रतीक यादव पर कैंट से 10 हजार रुपये
- लालबंगला निवासी मुकेश उर्फ आलू पर चकेरी से 10 हजार रुपये
- शिवकटरा निवासिनी सोनी पर चकेरी से 10 हजार रुपये
- शिवकटरा निवासिनी लक्ष्मी पर चकेरी से 10 हजार रुपये
- शिवकटरा निवासिनी शालू पर चकेरी से 10 हजार रुपये

दीनू पर चलेगा जानलेवा हमले का मुकदमा

- पिटाई का वीडियो वायरल होने पर दर्ज की थी रिपोर्ट

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। पिंटू सेंगर हत्याकांड के आरोपी धीरज उपाध्याय उर्फ दीनू के खिलाफ नवाबगंज थाने में दर्ज जानलेवा हमले और एससीएसटी एक्ट का मुकदमा भी चलेगा। गुरुवार को कड़े सुरक्षा घेरे में दीनू को सोनभद्र से लाकर प्रभारी विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दीनू की 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा मंजूर कर ली है। उसे कड़े सुरक्षा घेरे में सोनभद्र जेल भेजा गया।

नवाबगंज निवासी विनय कुमार उर्फ सोमू ने दीनू उपाध्याय, संजय उपाध्याय, उसके भतीजे मनु व उपाध्याय के खिलाफ नवाबगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 22 नवंबर 2018 को रात नौ बजे आजाद पार्क लल्लनपुरवा के पास रेनू उपाध्याय अपने साथियों के साथ लड़ाई-झगड़ा कर रहा था। उसने रेनू उपाध्याय को डांटा। इस पर रात 12 बजे वह घर के बाहर कूड़ा फेंकने आया तो यह लोग उसकी कनपटी पर रिवाल्वर लगाते हुए उसे बाइक पर बैठाकर अगवा करते हुए घर ले गए। वहां कमरे में बंधक बना चारों ने गला दबाया। दीनू के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया, सहायक पुलिस आयुक्त अमित चौरसिया ने इस मुकदमे में न्यायिक अभिरक्षा के लिए दीनू को सोनभद्र से तलब करने का प्रार्थनापत्र दिया था। डीजीसी क्रिमिनल दिलीप अवस्थी ने बताया, दीनू पर एससीएसटी एक्ट, मारपीट समेत अन्य धाराओं का मुकदमा चलेगा।

दीनू के खास गुर्गे नारायण भदौरिया का भाई गिरफ्तार

कार्रवाई

कानपुर, संवाददाता। नौबस्ता में कूटरचित दस्तावेज की दम पर दीनू उपाध्याय के गुर्गों द्वारा भाजपा नेता अनूप तिवारी के चाचा व कैंसर पीड़ित दंपति की दो करोड़ से अधिक कीमत की 1060 वर्ग गज जमीन पर कब्जा करने के मामले में आरोपित वकील नारायण सिंह भदौरिया के भाई दिनेश भदौरिया को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मामले में दीनू गैंग का खास गुर्गा नारायण सिंह भदौरिया व संजीव राणा पुलिस को गच्चा देकर फरार चल रहे। जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस टीम लगी है।

किदवई नगर एम-ब्लाक निवासी भाजपा नेता अनूप तिवारी के चाचा राज नारायन तिवारी ने वर्ष-1985 में प्रकाश कॉरपोरेटिंग सोसाइटी लिमिटेड हंसपुरम के सचिव पुतान सिंह से बूढ़पुर मछरिया में चार प्लॉट खरीदे। जिनका कुल रकबा 1060 वर्ग गज है। गुरसहायगंज में चाचा-चाची के शिक्षक होने पर जमीन की देखरेख की जिम्मेदारी भाजपा नेता की थी। पांच सितंबर 2020 की शाम दबंगों ने गेट पर अपना नाम लिखकर कब्जा कर लिया। जानकारी पर भाजपा नेता प्लॉट पर पहुंचे तो पता चला कि दीनू गैंग का खास गुर्गा नारायण सिंह भदौरिया, संजीव राणा, दिनेश भदौरिया समेत एक दर्जन लोगों ने कब्जा किया है। धमकी से तंग आकर पीड़ित भाजपा नेता भतीजे ने पुलिस आयुक्त अखिल कुमार से से शिकायत कर मुकदमा दर्ज कराया।

भाजपा नेता के चाचा की जमीन कब्जा कर मांगी थी दो करोड़ की रंगदारी

- कैंसर पीड़ित दंपति के गिड़गिड़ाने पर नहीं पसीजे, नारायण व संजीव की तलाश

भाजपा नेता को प्लॉट में दफनाने की दी थी धमकी

दीनू गैंग का सक्रिय सदस्य नारायण सिंह भदौरिया एंड टीम ने 12 मार्च को भाजपा नेता अनूप तिवारी को नौबस्ता में जबरन रोक लिया। फिर धमकाकर कहा कि प्लॉट को अब एकदम भूल जाओ, नहीं तो हत्या कर इसी प्लॉट के अन्दर दफना दूंगा। इसके बाद से उनका परिवार काफी दहशत में रहा। उसने एक करोड़ रुपये की रंगदारी भी मांगी थी। धमकी दी की रुपये न दिए तो परिवार समेत जलाकर राख कर दूंगा।

उधर, पुलिस फोर्स ने मोतीझील में घेराबंदी कर नारायण सिंह भदौरिया के भाई दिनेश भदौरिया को धर दबोचा। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि आरोपित दिनेश सिंह भदौरिया को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। वहीं मामले में फरार चल रहे नारायण भदौरिया समेत संजीव राणा समेत अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगी है। जल्द ही वे सलाखों के पीछे होंगे।

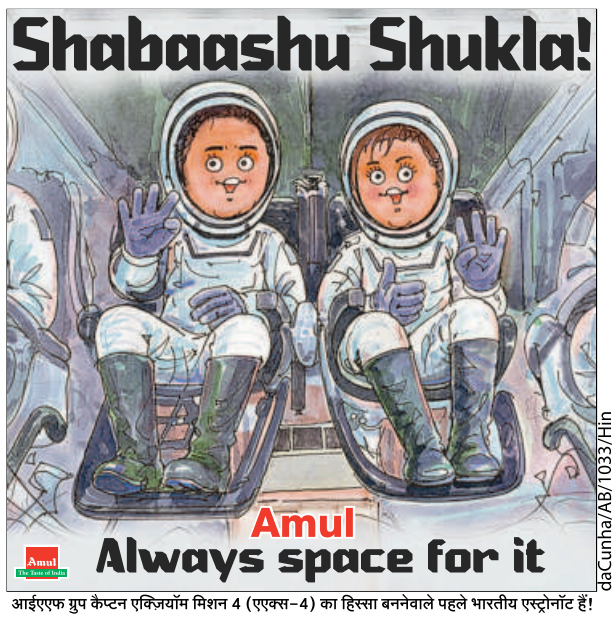

आईएएफ ग्रुप कैप्टन एक्जियॉम मिशन 4 (एएक्स-4) का हिस्सा बननेवाले पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट हैं!

शहर 30s

ट्रैफिक नियमों के पालन की अपील

कानपुर। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत गुरुवार को यातायात निरीक्षक समीर जावेद व टीएसआई संजीव पाल ने 103 एनसीसी बटालियन में यातायात जागरुकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें 500 एनसीसी कैडेट्स को सड़क सुरक्षा महत्व व बुनियादी यातायात नियमों की जानकारी दी। साथ ही जनता से अपील की गई कि यातायात नियमों का पालन करे। वहीं, यातायात नियमों को पालन न करने पर 917 वाहनों का चालान किया गया।

अपर्णा यादव आज करेंगी जनसुनवाई

कानपुर। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव शुक्रवार को शहर में रहेंगी। वह सर्किट हाउस में जनसुनवाई करेंगी। जनसुनवाई से पहले राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष द्वारा वृद्धा आश्रम किदवई नगर, बालिका शरणालय स्वरूप नगर, वन स्टॉप सेंटर गोल चौराहा रावतपुर, जिला महिला बंदीगृह और जिला महिला अस्पताल का निरीक्षण किया जाएगा।

वृद्ध को देख कुर्सी छोड़कर फरियाद सुनने पहुंचे

कानपुर। कमिश्नरेट पुलिस का मानवीय चेहरा गुरुवार को उस वक्त देखने के मिला। जब शिकायत लेकर पहुंचे दिव्यांग वृद्ध को देखने के बाद अपर पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय विनोद कुमार सिंह ने अपनी कुर्सी छोड़कर आफिस के बाहर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने गेट पर ही दिव्यांग वृद्ध की समस्या सुनकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। नवाबगंज के विष्णुपुरी निवासी दिव्यांग वृद्धा डीसी खन्ना गुरुवार को अपनी फरियाद लेकर पुलिस कमिश्नर आफिस पहुंचे थे। अपर पुलिस आयुक्त ने उन्हें निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया।

11 शातिरों की खोली गई हिस्ट्रीशीट, होगी निगरानी

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। कमिश्नरेट पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ कर आपराधिक वारदातों पर लगाम लगा रही है। पूर्वी जोन के अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ईस्ट जोन में 11 लोगों की हिस्ट्रीशीट खोली गई है। अब इन सभी अपराधियों की थाना स्तर पर निगरानी होगी।

गदियाना के आजाद अली, संजीव नगर अहिरवां निवासी विश्वजीत उर्फ बीडी की निगरानी के लिए हिस्ट्रीशीट खोली गई है। मंगला विहार पीएसी लाइन के अमन तिवारी पर रंगदारी मांगने और मारपीट, डकैती और जान से मारने की धमकी का आरोप है। गदियाना के वाहिद खान चोरी और नकबजनी का आरोप है। चकेरी के गदियाना के शादाब नकबजनी और चोरी की वारदातों को अंजाम देता था, उसकी भी हिस्ट्रीशीट खोली गई। चिश्ती नगर के आकिब नाजायज शस्त्रों से लैस होकर नकबजनी और चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। पटेल नगर के अभिषेक सिंह उर्फ गोलू चंदेल, सनिगवां के डबल स्टोरी निवासी बाबू, मेस्टन रोड निवासी गुल्लू उर्फ मो. जाकिर, महाराजपुर के ऐमा गांव के दीपक यादव व सुतरखाना के आशीष राठौर उर्फ आलू की हिस्ट्रीशीट खोली गई है।

> 11 शातिर अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गई है। अब इनकी लगातार मानीटरिंग होगी। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी पर गंभीर मामले दर्ज हैं।
> -सत्यजीत गुप्ता डीसीपी पूर्वी

धोखाधड़ी की शिकायत अब मंत्रालय की वेबसाइट पर करें

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। कानपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट सीपीई स्टडी सर्कल की ओर से सिविल लाइंस स्थित एक रेस्टोरेंट में संगोष्ठी हुई। कंपनीज एक्ट में व्यापक बदलावों और गैर-कॉरपोरेट संस्थाओं के वित्तीय विवरण के नए प्रारूप पर चर्चा की गई। मुख्य वक्ता सीएस वैभव अग्निहोत्री ने बताया, मई और जून में कंपनीज एक्ट में कई बदलाव हुए हैं। एमसीए ने पुराने वीटू पोर्टल को बंद करने व वीथ्री पोर्टल के चौथे चरण में कुल 38 फॉर्म लागू करने की योजना बनाई है।

उन्होंने बताया कि 30 मई से 7 जून के बीच हुए बदलावों के तहत ऑडिटर से संबंधित फॉर्म्स को वेब आधारित कर दिया गया है। इसमें नया एडीटी-फोर फॉर्म भी है, जिसके माध्यम से ऑडिटर अब कंपनी में होने वाले किसी भी फ्रॉड की जानकारी सीधे मंत्रालय की वेबसाइट पर जमा कर सकते हैं। ऑडिटर के फॉर्म्स में अब ऑडिटर को पैन का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। सीए ईशा गुप्ता ने वित्तीय विवरण पर चर्चा की। सीए नितिन सिंह, प्रशांत रस्तोगी, संजय अग्रवाल, राजीव गुप्ता, पुनीत लालवानी, साक्षी गर्ग, अरविंद नाथ सिंह, गौरव खन्ना मौजूद रहे।

कानपुर विकास प्राधिकरण
कानविप्रा०

आवश्यक सूचना:-एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कमला टाउन ट्रस्ट द्वारा भूखण्ड संख्या-01 ब्लाक-एच एफ0डब्लू0एरिया, जूही खुर्द, कानपुर नगर क्षेत्रफल 4.83 एकड़ पर मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार कानपुर इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा मेसर्स जुग्गीलाल कमलापत कॉटन स्पिनिंग कॉटन एण्ड विविंग मिल्स कम्पनी लि0 के पक्ष में दिनांक 19.10.1936 को निष्पादित की गयी थी। उक्त भूखण्ड की मूल सेल पत्रावली कानपुर विकास प्राधिकरण के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं हो पा रही है। डुप्लिकेट पत्रावली खोलकर उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का निस्तारण किया जाना है। अतः उक्त के क्रम में भूखण्ड की डुप्लिकेट पत्रावली खोलने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो या कोई अन्य अपना अधिकार रखता हो तो सम्पूर्ण साक्ष्यों सहित प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अंदर समस्त साक्ष्यों सहित अपनी लिखित आपत्ति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय जोन-2 विक्रय/एकल विण्डों में दाखिल करें, समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
विशेष कार्याधिकारी (विक्रय जोन-2)

सड़कों की नई खुदाई पर रोक

कानपुर। शहर में बरसात के दौरान नई खुदाई पर नगर निगम ने रोक लगा दी है। मुख्य अभियंता सैय्यद फरीद अख्तर जैदी ने इस संबंध में जल निगम, जलकल, सीयूजीएल और केस्को को नोटिस भेजा है। इसमें कहा गया है कि जहां अभी तक खुदाई हो चुकी है वहीं तक रहेगी और वहीं तक काम चलता रहेगा। बरसात में नई जगह रोड नहीं खोदी जाएगी

कार्यालय, डॉ. सोनेलाल पटेल स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, प्रतापगढ़ उ0प्र0

डा सोनेलाल पटेल, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय प्रतापगढ़ में विभिन्न विभागों में नियमित के आधार पर आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों हेतु DSLPMC/PBH/विज्ञप्ति/2025/1201 दिनांक 26-06-2025. महानिदेशक के वेबसाइट www.dgme.up.gov.in एवं कॉलेज वेबसाइट www.dslpasmcpratapgarh.org.in. पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करे।

पत्रांक संख्या: DSLPMC/PBH/विज्ञापन/2025/ 1204
दिनांक: 26/06/2025

रंगदारी मांगने में आरोपितों पर 20 हजार का रखा इनाम

शिकंजा

- पुलिस मुठभेड़ में एक को गिरफ्तार कर भेज चुकी है जेल
- मास्टरमाइंड लोकेशन बदलकर पुलिस को दे रहा गच्चा

कानपुर, संवाददाता। गोविंद नगर में सर्राफ पर फायरिंग कर 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में मास्टरमाइंड समेत एक अन्य आरोपित पुलिस गिरफ्त से दूर है। आरोपित लगातार लोकेशन बदल रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने उन पर 20 हजार का इनाम घोषित किया। वहीं मामले में पुलिस ने मुठभेड़ में एक आरोपित अनुज तिवारी को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज चुकी है। गोविंदनगर क्यू ब्लॉक निवासी सर्राफ अनिल कुमार गुप्ता पर आठ जून की रात ब्लाक बाइक सवार दो बदमाशों ने गोली चलाई थी। फायरिंग के बाद बदमाशों ने फोन कर अनिल से 50 लाख रुपये की रंगदारी की मांग की थी। मामले में 16 जून की रात मुठभेड़ में पुलिस आरोपित अनुज तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। जबकि उसका साथी छोटू उर्फ राज उर्फ नेपाली पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था।

50 लाख फोन कर मांगे गए थे कारोबारी से

आरोपित अनुज तिवारी ने ही पूछताछ में धीरेंद्र यादव उर्फ धीरन उर्फ दद्दा के बारे में जानकारी दी थी। उसने बताया था कि कारोबारी से रंगदारी मांगने की योजना दद्दा ने ही बनाई थी, जिसमें हनुमंत विहार के हिस्ट्रीशीटर आदित्य सोनकर भी शामिल थे। आदित्य ने बिल्हौर से गोविंदनगर तक कारोबारी की रेकी की थी, जिसके बाद हमला करने की जिम्मेदारी उसे और छोटू को दी गई थी। उधर, मामले में तीनों आरोपित फरार चल रहे है। गोविंद नगर थाना प्रभारी ने बताया कि फरार चल रहे धीरेंद्र यादव, छोटू उर्फ नेपाली व हिस्ट्रीशीटर आदित्य सोनकर पर बीस हजार का इनाम घोषित किया गया है।

मादक पदार्थों की होली जलाई

कानपुर। योग इंडिया मिशन और अन्य संगठनों ने दीप तिराहे पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध दिवस पर नशीले पदार्थों की प्रतीकात्मक होली जलाई। पीयूष रंजन, रोबिन सिंह, सार्थक द्विवेदी, नीरज मौजूद रहे।

ADVANCE GROUP OF COLLEGES
Advance Institute of Biotech & Paramedical Sciences
Advance College of Education
B.PHARM
M.PHARM
D.PHARM
ADMISSION OPEN
G.T. ROAD, NARAMAU, KANPUR
Website:www.advancecolleges.in
9415040326
9336651555

कार्यालय, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0
1, गुरू गोविन्द सिंह मार्ग, लखनऊ।

काउन्सलिंग शिड्यूल (सत्र 2025-26)
पालिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स के प्रवेश हेतु काउन्सलिंग शिड्यूल
मुख्य काउन्सलिंग (FOR QUALIFIED CANDIDATES OF UP STATE)

Sl.No.	Counseling Activities	Date
	Round - 01	
1	1st Round Choice Filling (for QUALIFIED candidates of UP state)	27.06.2025 to 02.07.2025
2	1st Round seat allotment	03.07.2025
3	1st Round Online Freeze/Float option selection for all candidates and deposit Security + Counseling fee through their Login (online)	04.07.2025 to 06.07.2025
4	Document Verification at the district Help Centers (only for Freeze candidates)	04.07.2025 to 07.07.2025 (up to 6:00 PM)
5	1st Round Admitted Seat Withdrawal	08.07.2025
	Round - 02	
1	2nd Round Choice Filling (for QUALIFIED candidates of UP state)	09.07.2025 to 11.07.2025
2	2nd Round seat allotment	12.07.2025
3	2nd Round Online Freeze/Float option selection for all candidates and deposit Security + Counseling fee through their Login (online)	13.07.2025 to 15.07.2025
4	Document Verification at the district Help Centers (only for Freeze candidates)	14.07.2025 to 16.07.2025 (up to 6:00 PM)
5	2nd Round Admitted Seat Withdrawal	17.07.2025
	Round - 03	
1	3rd Round Choice Filling (for QUALIFIED candidates of UP state)	18.07.2025 to 20.07.2025
2	3rd Round seat allotment	21.07.2025
3	3rd Round deposit Security + Counseling fee through their Login (online). All candidates are auto Freezed	22.07.2025 to 24.07.2025
4	Document Verification at the district Help Centers (only for Freeze candidates)	22.07.2025 to 25.07.2025 (up to 6:00 PM)
5	1st to 3rd Round Admitted Seat Withdrawal	26.07.2025
	Commencement of classes for Session 2025-26	**01.08.2025**
	विशेष काउन्सलिंग (QUALIFIED CANDIDATES OF UTTAR PRADESH AND OTHER STATES)	
	Round - 04	
1	4th Round Choice Filling (for QUALIFIED candidates of UP and Other state)	28.07.2025 to 30.07.2025
2	4th Round seat allotment	31.07.2025
3	4th Round Online Freeze/Float option selection for all candidates and deposit Security + Counseling fee through their Login (online)	01.08.2025 to 03.08.2025
4	Document Verification at the district Help Centers (only for Freeze candidates)	01.08.2025 to 04.08.2025 (up to 6:00 PM)
5	4th Round Admitted Seat Withdrawal	05.08.2025
	Round - 05	
1	5th Round Choice Filling (for QUALIFIED candidates of UP and Other state)	06.08.2025 to 09.08.2025
2	5th Round seat allotment	10.08.2025
3	5th Round deposit Security + Counseling fee through their Login (online). All candidates are auto Freezed	11.08.2025 to 13.08.2025
4	Document Verification at the district Help Centers (only for Freeze candidates)	11.08.2025 to 14.08.2025 (up to 6:00 PM)
5	4th to 5th Round Admitted Seat Withdrawal	14.08.2025

विस्तृत जानकारी हेतु परिषद की वेवसाइट www.jeecup.admissions.nic.in
दूरभाष नम्बर 0522-2630106, 0522- 2636589, 0522-2630695 पर सम्पर्क करें।

JKCement
जे के सीमेन्ट लिमिटेड ('कम्पनी')
सीआइएन: L17229UP1994PLC017199
पंजीकृत कार्यालय: कमला टावर, कानपुर- 208 001, उ.प्र.
टेलीफोन: +91 512 2371478 | फैक्स: +91 512 2399854 | ईमेल: shambhu.singh@jkcement.com | वेब: www.jkcement.com

कंपनी के सदस्यों के लिए इकतीसवीं वार्षिक आम बैठक, पुस्तकबंदी, लाभांश हेतु रिकॉर्ड-डेट व ई-वोटिंग की सूचना

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों सपठित सामान्य सर्कुलर संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 02/2022, 10/2022, 09/2023 तथा 09/2024 क्रमशः दिनांकित 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 05 मई 2020, 13 जनवरी 2021, 05 मई 2022, 28 दिसम्बर 2022 , 25 सितम्बर, 2023 तथा 19 सितम्बर, 2024 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("MCA Circulars") तथा सर्कुलर सं0. SEBI/HO/CFD/CMD2 /CIR/P / 2022/62 दिनांकित 13 मई 2022 तथा सर्कुलर सं0.SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांकित 5 जनवरी, 2023 सर्कुलर सं0 . SEBI/HO/CFD/ CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांकित 7 अक्टूबर, 2023, तथा सर्कुलर सं0 SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 दिनांकित 3 अक्टूबर, 2024 द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 यथासंशोधित (सूचीबद्ध विनियम) पर जारी एवं लागू परिपत्रों के अनुपालन में आयोजित होने वाली कंपनी की इकतीसवीं वार्षिक आम बैठक **("एजीएम")** जो कि **शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई, 2025 को भारतीय समयानुसार प्रातः 11:00 बजे** वीडियो कान्फ्रेसिंग (वीसी)/अदर आडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से बुलाने की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्टैंडअलोन और कन्सोलिडेटेड लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, नोटिस, निदेशकों की रिपोर्ट (संलग्नक सहित) प्रबन्धन की चर्चाएं तथा कार्पोरेट गवर्नेन्स की विश्लेषण रिपोर्ट, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उनके साथ संलग्न करने के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेजों के साथ दिनांक 26 जून, 2025 को इलेक्ट्रॉनिक मोड से कंपनी के केवल उन सदस्यों को भेजे जा चुके हैं, जिनके नाम कंपनी/कंपनी रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (RTA) के पास दर्ज हैं। इस प्रकार सदस्य वीडियो कानफ्रेसिंग (वीसी)/अदर आडियो विजुअल मीन्स् (ओएवीएम) के माध्यम से ही सम्मलित हो सकते है। एजीएम की सूचना और उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट **www.jkcement.com** पर और बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") की वेबसाइट क्रमशः **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** और NSDL की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से सम्मिलित होने वाले सदस्यों की गिनती कम्पनीज़ एक्ट 2013 की धारा 103 के तहत, कोरम की गणना हेतु की जाएगी।

एजीएम की सूचना में संदर्भित दस्तावेज एजीएम की सूचना के सर्कुलेशन की तारीख से सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध है। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य shambhu.singh@jkcement.com पर ई-मेल प्रार्थना भेज सकते है।

रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंगः
कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रानिक माध्यमों ("ई-वोटिंग") द्वारा, एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर, मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य अपना वोट यहाँ नीचे दी गई तारीखों पर दूर से भी डाल सकते है ("रिमोट ई-वोटिंग") कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्योरिटी डिपोजीटरी लिमिटेड (NSDL) की सेवाएं ली है। मतदान के तरीके के बारे में सूचना और निर्देश जिसमें शामिल है डीमटैीरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा दूरस्थ रूप से (Remotely) मतदान करना और सदस्य जिन्होनें अपने ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उन्हें यह एजीएम की सूचना में दिया गया है। रिमोट ई-वोटिंग के जरिये केवल वही व्यक्ति मतदान कर सकेंगे, जिनका नाम कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 11 जुलाई, 2025 तक कम्पनी के रजिस्टर में दर्ज हैं। वे सदस्य जो यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे यह जानकारी एजीएम के नोटिस में वर्णित तरीके से प्राप्त कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग की सुविधाः **मंगलवार, 15 जुलाई, 2025 को सुबह 9:00 बजे** से शुरू होगी और **गुरूवार, 17 जुलाई, 2025 को शाम 05:00 बजे** बंद हो जाएगी। उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और रिमोट-वोटिगं माड्यूल नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड ('NSDL') द्वारा पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति पर अक्षम कर दिया जाएगा। एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग कर सकेंगे। वह व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि, यानी शक्रवार, 11 जुलाई, 2025 को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। ऐसे सदस्य जिन्होंने ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है, वे भी एजीएम में सम्मिलित हो सकेंगे परन्तु दोबारा मतदान नहीं कर सकेंगे।

पुस्तक बंदी सूचना तथा लाभांश और उसके भुगतान की रिकार्ड तिथि:
ए. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 सपठित कम्पनीज ('मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन') नियम 2014 तथा सेबी ('LODR') विनियम 2015 के लिस्टिंग विनिमय विनियम 42 के अनुपालन में सदस्यों का रजिस्टर तथा कंपनी की Share Transfer Book के बंद रहने का समय बुधवार दिनांक 9 जुलाई, 2025 से शुक्रवार दिनांक 18 जुलाई, 2025 तक (दोनों दिवस सम्मिलित) रहेगा।
बी. कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक मडंल द्वारा अनुशंसित लाभांश के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए मंगलवार, दिनांक 08 जुलाई, 2025 को "रिकार्ड तिथि" के रूप में निर्धारित किया है।
सी. लाभांश का भुगतान उन सदस्यों को जिनके नाम रिकार्ड तिथि को कंपनी के रजिस्टर में दिखाई देते हैं और डीमैटरियलाइज्ड मोड में रखे गए शेयरों के संबंध में उन सदस्यों को जिनके नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटडे और सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड द्वारा रिकार्ड तिथि जो कि, 8 जुलाई, 2025 है को लाभकारी मालिकों के रूप में प्रस्तुत किये गए है उन्हें एजीएम के सम्पन्न होने से एक सप्ताह के भीतर किया जायेगा।
डी. लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रानिक माध्यम से उन सदस्यों को किया जाएगा जिन्होनें कंपनी में अपने बैंक खाते का विवरण पंजीकृत किया है। सेबी सर्कुलर के अनुपालन में डिमाण्ड ड्राफ्ट उन सदस्यों के पंजीकृत पते पर भेजे जायेंगें जिन्होनें अपने बैंक खाता का विवरण कंपनी/RTA में अभिलिखित नहीं कराया है।

लाभांश प्राप्त करने के लिए मैनडेट (MANDATE) दर्ज करने का तरीकाः
सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना पूरा बैंक विवरण पंजीकृत/ अपडेट करेंः
ए. यदि शेयर डीमैटरियलाइज्ड मोड में रखा गया है, तो अपने डिपाजीटरी पार्टिसिपेन्ट्स के साथ, फॉर्म और दस्तावेज, जमा करके पंजीकृत/अपडेट करें।
बी. यदि शेयर भौतिक रूप में धारित है तो, फॉर्म संख्या ISR-1 के अनुसार, अधोलिखित दस्तावेज कपंनी के ईमेल- पते shambhu.singh@jkcement.com पर ई-मेल करके या जमा करके, पंजीकृत/अपडेट करें- (1) हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई कापी जिसमें सदस्य का नाम, फोलियो नंबर, बैंक विवरण (बैंक खाता नबंर, बै